ग्राम पंचायत मसरूर , विकास खण्ड नगरोटा सूरियां, जिला काँगड़ा के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 01.04.2014 से 31.03.2017

1 **(क) प्रस्तावना :-**

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व सयुंक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2017 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि.प्र., को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत मसरूर, विकास खण्ड नगरोटा सूरियां, जिला काँगड़ा के अवधि 01.04. 2014 से 31.03.2017 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान व सचिव कार्यरत थे :-

प्रधान :-

1	श्रीमति प्रेम लता	1-4-2014 से 22-1-2016
2	श्रीमति विवेका	23-1-2016 से लगातार

सचिव :-

1	श्री कमल किशोर	1-4-2014 से 19-5-2015
2	श्री राकेश कुमार	20-5-2015 से लगातार

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार:-

ग्राम पंचायत मसरूर के लेखाओं अवधि 01.04.14 से 31.03.17 के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है।

क्र०सं०	पैरा सं०	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि (लाखों में)
1	6	गृहकर वसूली हेतु शेष	0.21
2	7	अनुदान का उपयोग न करना	13.74
3	8	निर्माण कार्यों का मूल्याँकन (ASSESSMENT) के बिना भुगतान	4.91
4	9	निविदाएँ आमंत्रित किए बिना क्रय	0.34
5	10	IWMP अनुदान से अधिक भुगतान	0.11

2 वर्तमान अंकेक्षण:-

ग्राम पंचायत मसरूर, विकास खण्ड नगरोटा सूरियां, जिला काँगड़ा के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 तक के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री जितेन्द्र सिंह, अनुभाग अधिकारी व श्री जीवन कुमार कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 3-2-2018 से 7-2-2018 तक ग्राम पंचायत मसरूर में किया गया। लेखाओं की विस्तृत जांच हेतु आय एवं व्यय के लिए मासों का चयन निम्न प्रकार से किया गया।

वित्तीय वर्ष	आय	व्यय
2014-1 5	10/2014	9/2014
2015-16	3/2016	4/2015
2016-17	2/2017	1/2017

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई किसी भी गलत सूचना/ अभिलेख के अपूर्ण/ गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि.प्र. उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्क :-

ग्राम पंचायत मसरूर, विकास खण्ड नगरोटा सूरियां, जिला काँगड़ा के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 तक के लेखाओं का अंकेक्षण शुल्क ₹7200 बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग (हि०प्र०) शिमला-9 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 52/2018 दिनांक 7-2-2018 द्वारा अनुरोध किया गया।

4 वितीय स्थिति:-

ग्राम पंचायत मसरूर द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 01.04.14 से 31.03.17 के लेखाओं की वितीय स्थिति निम्न प्रकार से थी :-

(1) स्व स्त्रौत :-ग्राम पंचायत मसरूर के अवधि 01.04.14 से 31.03.17 तक की स्व स्त्रौतों की वित्तीय स्थिति का विवरण :-

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2014-15	72689	5425	78114	24481	53633
2015-16	53633	31202	84835	23368	61467
2016-17	61467	2384	63851	0	63851

(2) अनुदान :-ग्राम पंचायत मसरूर के अवधि 01.04.14 से 31.03.17 तक की अनुदानों की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण संलग्न परिशिष्ट-1 में भी दिया गया है :-

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2014-15	1015396	795262	1810658	880445	930213
2015-16	930213	476983	1407196	678301	728895
2016-17	728895	2180170	2909065	1535141	1373924

टिप्पणी :-- वर्ष 2014-15 में SFC अनुदान की दो रोकड़ बहियों का रख रखाव किया गया था तथा मास 4/2015 से SFC अनुदान की एक रोकड़ का रख रखाव किया गया। आय – व्यय विवरण तथा वितीय स्थिति में वर्ष 2014-15 में SFC अनुदान की दोनों रोकड़ बहियों के आंकड़ों को लिया गया है।

1	रोकड़ बही खाता क पैरा 4(1)का अन्तशेष	₹63851
2	रोकड़ बही खाता ख पैरा 4(2) का अन्तशेष	₹1373924
	कुल अन्तशेष	₹1437775

दिनांक 31-03-2017 को बैंक में जमा राशि का विवरण निम्नानुसार था।

Sr No	Bank name	Acount No	Amount
1	KCC BANK NAGROTA SURIAN	20027080249	33516
2	KCC BANK NAGROTA SURIAN	50055847042	493
3	KCC BANK NAGROTA SURIAN	50055848364	57673
4	KCC BANK NAGROTA SURIAN	50060201998	92493
5	KCC BANK NAGROTA SURIAN	50055848320	39954
6	KCC BANK NAGROTA SURIAN	50055847031	68233
7	KCC BANK NAGROTA SURIAN	20027080318	22470
8	KCC BANK NAGROTA SURIAN	50055848284	62770
9	KCC BANK NAGROTA SURIAN	50055848397	5125
10	KCC BANK NAGROTA SURIAN	50055848400	32919
11	KCC BANK NAGROTA SURIAN	20027080545	63518
12	KCC BANK NAGROTA SURIAN	50055848342	957878
		TOTAL	**₹1437042**
		Cash in hand	**733**
		G.Total	**₹1437775**

5 बजट प्राक्कलन तैयार न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 37 के अनुसार सचिव द्वारा फार्म-11 में पंचायत के आय व व्यय के प्राक्कलन तैयार करके ग्राम सभा से पारित करवाना अपेक्षित था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के लिए पंचायत का बजट प्राक्कलन तैयार नहीं किया गया था। इस प्रकार बजट प्राक्कलन तैयार / अनुमोदित न करने के कारण पंचायत द्वारा किया गया व्यय अनियमित था। अतः बजट प्राक्कलनों को तैयार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये भविष्य में नियमानुसार बजट प्राक्कलन तैयार करना सुनिश्चित किया जाये।

6 पंचायत राजस्व ₹0.21 लाख वसूली हतु शेष :-

पंचायत सचिव मसरूर द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31-03-2017 तक निम्न विवरणानुसार पंचायत राजस्व (गृहकर) ₹20820 वसूली हेतु शेष था, जिसकी अतिशीघ्र वसूली की जाए: –

1. गृहकर :

वर्ष	अथशेष	मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि
2014-15	0	6940	6940	0	6940
2015-16	6940	6940	13880	0	13880
2016-17	13880	6940	20820	0	20820

(2) .हिमाचल प्रदेश पंचायती राज [वित बजट लेखे संकर्म कराधान व भते] नियम 2002 के नियम 33 और 77 के अनुसार फॉर्म 10 पर पंचायत के गृहकर का मांग और संग्रहण रजिस्टर तैयार करना अपेक्षित था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के लिए पंचायत के गृहकर का मांग और संग्रहण रजिस्टर तैयार नहीं किया गया। अत: गृहकर का मांग और संग्रहण रजिस्टर तैयार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार अभिलेख तैयार करना सुनिश्चित किया जाए।

7 अनुदान ₹13.74 लाख का उपयोग न करना ;-

पंचायत द्वारा अनुदानों से संबन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना (**परिशिष्ट-1**) के अनुसार दिनांक 31.03.17 तक अनुदान ₹1373924 उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ- साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से वंचित होना पड़ा। अतः अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ोतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाये अन्यथा राशि का प्रत्यार्पण संबन्धित संस्था को किया जाये।

8 निर्माण कार्यों के मूल्याँकन (Assessment) के बिना ₹4.91 लाख का भुगतान करना :-

प्रधान सचिव (ग्रा० वि० एवं पं० रा०) हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र संख्या :एस एम् एस -17 /2002- आर डी डी (जी आर एस) दिनांक 22-9-2009 के द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार तकनीकी सहायक/कनिष्ठ अभियन्ता की assessment के पश्चात ही पंचायत द्वारा भुगतान किया जाएगा, परन्तु जाँच में पाया गया कि निम्न विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹491005 का भुगतान assessment के बिना किया गया। अत: इस अनियमितता बारे उचित स्पष्टिकरण प्रस्तुत करते हुए बिना assessment के भुगतान पर अविलम्ब रोक लगाई जाए।

वा. सं.	मास	कार्य का नाम	राशि
MGNREGA			

1	1/2017	निर्माण नाली मदन सिंह से मिलाप सिंह के घर तक	4760
2	1/2017	निर्माण नाली सरनदास हरिजन बस्ती	15130
3	1/2017	निर्माण नाली सरनदास हरिजन बस्ती	9860
4	1/2017	निर्माण नाली सरनदास हरिजन बस्ती	6630
5	1/2017	निर्माण नाली मदन सिंह से मिलाप सिंह के घर तक	8160
6	1/2017	निर्माण नाली मदन सिंह से मिलाप सिंह के घर तक	6460
7	1/2017	निर्माण नाली सरनदास हरिजन बस्ती	2380
8	1/2017	निर्माण नाली सरनदास हरिजन बस्ती	5950
9	1/2017	निर्माण नाली सुलो राम के खेत तक	6630
10	1/2017	निर्माण नाली सुलो राम के खेत तक	2380
11	1/2017	निर्माण रास्ता बंसी लाल के घर तक	10030
12	1/2017	निर्माण नाली सरनदास हरिजन बस्ती	3570
13	1/2017	निर्माण रास्ता बंसी लाल के घर तक	3230
14	1/2017	RWHT दुनी चन्द	8160
15	1/2017	निर्माण नाली मदन सिंह से मिलाप सिंह के घर तक	5950
16	1/2017	निर्माण रास्ता बंसी लाल के घर तक	15300
17	1/2017	निर्माण रास्ता बंसी लाल के घर तक	3740
18	1/2017	निर्माण नाली मनोहर सिंह के घर तक	9520
19	1/2017	निर्माण नाली मनोहर सिंह के घर तक	3060
20	1/2017	RWHT दुनी चन्द	22610
21	1/2017	RWHT दुनी चन्द	12750
22	1/2017	निर्माण नाली मदन सिंह से मिलाप सिंह के घर तक	1870
23	1/2017	**निर्माण नाली सुरिन्द्र कुमार से प्रताप चन्द के घर तक**	19890
24	1/2017	**निर्माण नाली सुरिन्द्र कुमार से प्रताप चन्द के घर तक**	4250
25	1/2017	**निर्माण नाली संतोष चन्द के घर से प्रवेश के घर तक**	20230
26	1/2017	**RWHT सुबाष चन्द**	20230
27	1/2017	निर्माण नाली मदन सिंह से मिलाप सिंह के घर तक	1020
28	1/2017	**निर्माण नाली संतोष चन्द के घर से प्रवेश के घर तक**	3400
29	1/2017	RWHT दुनी चन्द	3400
30	1/2017	निर्माण रास्ता बंसी लाल के घर तक	4080
31	1/2017	**निर्माण नाली संतोष चन्द के घर से प्रवेश के घर तक**	2210
32	1/2017	निर्माण नाली मनोहर सिंह के घर तक	9520

33	1/2017	**RWHT सुभाष चन्द**	21250
MPLAD			
1,2,3	4/2015	निर्माण कार्य महिला मंडल घरियार	31777
2	1/2017	निर्माण रास्ता आशा रानी के घर से मसरूर मंदिर तक	21000
3	1/2017	निर्माण रास्ता आशा रानी के घर से मसरूर मंदिर तक	20930
SDP			
1	4/2015	निर्माण डंगा नजदीक भूमि प्रीतम सिंह	7275
Nil	1/2017	निर्माण रास्ता तीन बोडू से गलुआघर	32000
13 Finance			
7	9/2014	निर्माण सरायें पीर बाबा मंदिर पीर बिन्द्ली	10280
Nil	9/2014	निर्माण रास्ता मेन रोड से रामदास के घर तक	576
8	9/2014	निर्माण सरायें पीर बाबा मंदिर पीर बिन्द्ली	15670
9	9/2014	निर्माण सरायें पीर बाबा मंदिर पीर बिन्द्ली	27403
10	9/2014	निर्माण सरायें पीर बाबा मंदिर पीर बिन्द्ली	6500
11	9/2014	निर्माण सरायें पीर बाबा मंदिर पीर बिन्द्ली	7000
12	9/2014	निर्माण सरायें पीर बाबा मंदिर पीर बिन्द्ली	6500
13	9/2014	निर्माण सरायें पीर बाबा मंदिर पीर बिन्द्ली	26484
		कुल योग	**₹491005**

9 निविदाएँ प्राप्त किए ₹0.34 लाख का क्रय तथा अन्य अनियमितताएं

हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 93 (A)(vi) में पंचायत निर्माण कार्यों के लिए स्टॉक/स्टोर का क्रय करने की औपचारिकतायें प्रावधित है। व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि निम्न विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹33903 के स्टॉक/स्टोर का क्रय पंचायत के निर्माण कार्यों के लिए किया गया, जिसे स्टॉक रजिस्टर में दर्ज नहीं किया गया । जाँच में यह भी पाया गया कि पंचायत द्वारा निर्माण कार्यों में प्रयोग की गयी मदों का क्रय बिना निविदाएँ प्राप्त किए किया गया है। अत; बिना निविदाओं को आमंत्रित किए के निर्माण सामग्री का क्रय करने तथा सामग्री को भण्डार रजिस्टर में दर्ज न करने बारे वस्तुस्थिति से अवगत करवाया जाए तथा क्रय सामग्री का नियमानुसार भण्डार रजिस्टर में इन्द्राज किया जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत किया जाए।

MGNREGA

वा0 सं0	मास	मद का नाम	मात्रा (CUM/CUF)	दर	राशि
9	9/2014	सरिया 12mm	250.45 m^3	47.5	11896
		सरिया 10mm	253.65 m^3	49	12428
		सरिया 8mm	52.55 m^3	50.8	2669
		मेख	3 kg	70	210
			1.895	85	200

		पाइप			
10	9/2014	इटें	1000	6.5	6500
				कुल योग	**₹33903**

10 ग्राम पंचायत द्वारा मनरेगा अनुदान से खण्ड विकास अधिकारी नगरोटा सूरियां कार्यालय को वोउचर संख्या 9 मास 9/2014 के द्वारा ₹10418 वापिस लौटाई गई परन्तु उक्त कार्यालय से रसीद प्राप्त नहीं की गई जिसे अब प्राप्त करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण में अवगत करवाया जाए।

11 IWMP अनुदान से ₹0.11 लाख का अधिक/अनियमित भुगतान :--

ग्राम पंचायत के निर्माण कार्यों के भुगतान वोउचरों की जाँच करने पर पाया गया कि मापन पुस्तिका संख्या 7478 पृष्ठ संख्या 64 से 67 तक निर्माण कार्य "मुरम्मत बाबड़ी काखडा भयाल बस्ती वार्ड न 3" का मूल्यांकन ₹35482 किया गया परन्तु रोकड़ वही के अनुसार उक्त निर्माण कार्य के लिए निम्न विवरणानुसार मजदूरी एवं निर्माण कार्य की मदों के रूप में कुल भुगतान ₹46433 किया गया जो कि मूल्यांकित राशि से ₹10951 (46433-35482) अधिक है जिसके लिए स्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा इस राशि की वसूली उचित स्त्रोत से सुनिश्चित की जाए।

वाउचर संख्या	मास	विवरण	राशि
5	8/2014	निर्माण मदें	14243
6	9/2014	मजदूरी	2700
7	9/2014	मजदूरी	10830
8	9/2014	निर्माण मदें	970
9	9/2014	निर्माण मदें	2960
10	9/2014	निर्माण मदें	7800
1.3	3/2014	सीमेंट	6930
		योग	**₹46433**

12 नियम विरुद्ध एकाधिक रोकड़ वहियों का निर्माण करने बारे:---

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज [वित बजट लेखे संकर्म कराधान व भते] नियम 2002 के नियम 7(1) के अनुसार पंचायत के समस्त लेनदेन को एक ही रोकड़ वही में लेखांकित किये जाने का प्रावधान है परन्तु पंचायत द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार वर्तमान में 11 अलग-अलग रोकड़ बहियों का अनुरक्षण किया गया है। अत: नियमों के विरुद्ध एक के स्थान पर अनुरक्षित इन 11 रोकड़ बहियों बारे उचित स्पष्टीकरण सहित भविष्य के लिए इन अतिरिक्त रोकड़ बहियों को बंद करते हुए इस बारे नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित की जाए।

13 प्राप्त अनुदान के लिए रसीदें जारी न करना :--

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज [वित बजट लेखे संकर्म कराधान व भते] नियम 2002 के नियम 5(1 से 3) के अनुसार पंचायत को किसी भी स्त्रोत अथवा तरीके से प्राप्त आय / अनुदान के लिए इन नियमों में दिए गये प्रारूप -3 में रसीद जारी करनी आवश्यक है परन्तु ग्राम पंचायत के लेखाओं की जांच में पाया गया कि अंकेक्षण अवधि के दौरान प्राप्त अनुदान राशियों विशेषकर आर० टी० जी० एस०/ ऑनलाइन बैंक प्राप्तियों के लिए किसी भी प्रकार की रसीद जारी नहीं की गई है। इस

बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित की जाए।

14 वर्गीकृत सार को तैयार न करना :---

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज [वित बजट लेखे संकर्म कराधान व भते] नियम 2002 के नियम 29(4) के अनुसार पंचायत को प्रारूप 8 में वर्गीकृत सार को तैयार करते हुए एक आय तथा एक व्यय के लिए दो भागों में बनाया जाएगा जिसमें प्रत्येक मद के लिए एक अलग पन्ने पर प्रत्येक आय तथा व्यय के लेनदेन के लिए अलग अलग प्रविष्टी की जाएगी। प्रत्येक माह के अंत में मासिक तथा प्रगतिशील योग के लिए प्रविष्टी की जाएगी। इस सार को बनाए जाने का उद्देश्य आय तथा व्यय को बजट के अनुसार नियंत्रित रखा जाना है परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा इसके न बनाये जाने के कारण अंकेक्षण के दौरान पंचायत के आय तथा व्यय के आंकड़ों का मिलान बजट के साथ न करने में केवल मुश्किल आई परन्तु साथ ही आय व्यय विवरणी तथा वितीय स्थिती का निर्माण करने में भी अतिरिक्त समय की बर्बादी हुई है। इस बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य के लिए नियमानुसार वर्गीकृत सार का निर्माण करना सुनिश्चित किया जाए।

15 मस्ट्रोल को जारी करने तथा उसके अभिलेखन व अनुरक्षण करने में प्रतिपादित नियमों की अवलेहना :--

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज [वित बजट लेखे संकर्म कराधान व भते] नियम 2002 के नियम 102(1 से7) के अनुसार जिला पंचायत अधिकारी द्वारा मुद्रित तथा प्रमाणित मस्ट्रोल ही पंचायत सचिव द्वारा सम्बन्धित तकनीकी अधिकारी को किसी विकास/निर्माण कार्य में मजदूरों की हाजिरी लगाने के लिए "मस्टरोल जारी करने के रजिस्टर" में प्रविष्टी के उपरान्त जारी किये जाएँगे। इन्हीं नियमों में प्रावधित है कि इन मस्ट्रोल का अभिलेखन व अनुरक्षण हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग की कार्यपद्यति के आधार पर किया जाएगा परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा प्रयोग तथा भुगतान किये गये मस्ट्रोल की अंकेक्षण जांच में पाया गया कि उपरोक्त नियमों की अनुपालना आंशिक रूप में ही की गई है। मुख्य रूप से इन मस्ट्रोल में निम्नलिखित विसंगतियां पाई गई :--

1 श्रम कानूनों के अंतर्गत प्रावधान है कि प्रत्येक श्रमिक को छः दिन लगातार काम करने के पश्चात सातवें दिन PAID HOLIDAY (सवेतनिक अवकाश) दिया जाएगा परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा इस नियम की अनुपालना नहीं की गई तथा विशेषकर मनरेगा योजना के अंतर्गत करवाए गये विभिन्न निर्माण कार्यों के लिए जारी मस्ट्रोल में मजदूरों द्वारा लगातार छः दिन से अधिक कार्य किये जाने के वाबजूद भी उन्हें PAID HOLIDAY (सवेतनिक अवकाश) नहीं दिया गया जो कि नियमों की अवहेलना है।

2. मस्ट्रोल के भाग -3 जिसमें मजदूरों द्वारा किये गये कार्य का विस्तृत विवरण दिया जाता है को पंचायत द्वारा ख़ाली रखा गया जिस कारण मस्ट्रोल में किये गये कार्य तथा उसके विरुद्ध किये गये भुगतान की तकनीकी प्रमात्रा के आधार पर सत्यापित किया जाना सम्भव नहीं हो सका है।

3. प्रयोग किये गये मस्ट्रोल में मात्र कार्य का शीर्षक दर्ज किया गया है। मस्ट्रोल पर रखे गये मजदूरों से सम्बन्धित विकास/ निर्माण कार्य में क्या अथवा किस प्रकार का काम करवाया गया है का विस्तृत विवरण सम्बन्धित कॉलम में दर्ज नहीं किया गया है।|

4. मस्ट्रोल को कनिष्ठ अभियंता / तकनीकी सहायक द्वारा किये गए कार्य के लिए तकनीकी आधार पर सत्यापित नहीं किया गया है जिस कारण भुगतान की गई राशि को किये गये कार्य की प्रमात्रा के

आधार पर सत्यापित नहीं किया जा सका है ।

5. मस्ट्रोल में कुछ कॉलमों को छोड़कर लगभग सभी प्रावधित कॉलम खाली छोड़ दिए गए हैं ।

इस प्रकार से प्रावधित नियमों की अवहेलना तथा अनियमित भुगतान करना एक अति गम्भीर अनियमितता है जिसके बारे में तथ्यपूर्ण स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए सुधारात्मक कार्यवाही करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

16 निर्माण कार्यों से सम्बन्धित विसंगतियां :---

ग्राम पंचायत के निर्माण कार्यों से सम्बन्धित व्यय वाउचरों की जांच में निम्नलिखित विसंगतियां पाई गई हैं :--

1 ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्यों का निष्पादन करने हेतु हिमाचल प्रदेश पंचायती राज [वित बजट लेखे संकर्म कराधान व भते] नियम 2002 के नियम 93(ए)(1) के अनुसार प्रत्येक निर्माण कार्य के लिए एक अनुभागी / संकर्म समिति बनाए जाने का प्रावधान है जो कि नियमानुसार निर्धारित समयावधि के भीतर कार्य निष्पादन हेतु पंचायत के साथ उपरोक्त नियमों के " परिशिष्ट – ई " में दिए गये अनुबंध प्रारूप के अनुसार अनुबंध हस्ताक्षरित करेगी तथा उस कार्य विशेष के निष्पादन की देखरेख के लिए हर तरह से उत्तरदायी होगी I परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा इस नियम की अनुपालना नहीं की जा रही है तथा निर्माण कार्यों का निष्पादन पंचायत द्वारा अपने ही स्तर पर करवाया जा रहा है ।

2. बिलों में किए गए कार्य की प्रमात्रा तथा खरीदी गई सामग्री का सत्यापन तकनीकी सहायक अथवा किसी भी अन्य जिम्मेवार पंचायत पदाधिकारी / कर्मचारी द्वारा नहीं किया गया है जिस के कारण किये गए भुगतान की प्रमाणिकता संदिग्ध हो जाती है I इस बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए वस्तुस्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए I इसके अतिरिक्त पंचायत द्वारा निष्पादित कार्यों में कनिष्ठ अभियन्ता / तकनीकी सहायक द्वारा किए गए कार्य का तकनीकी विवरण भी दर्ज नहीं किया गया है ।

3 हिमाचल प्रदेश पंचायती राज [वित बजट लेखे संकर्म कराधान व भते] नियम 2002 के नियम 103(4) की अनुपालना में निर्माण कार्यों से सम्बन्धित कोई भी लेखे तथा अभिलेख हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग के लेखों के आधार पर तैयार नहीं किए गए हैं जिस कारण पंचायत द्वारा करवाए गए निर्माण कार्यों की जांच में कठिनाई आई है । इस बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए वस्तुस्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

4. तकनीकी सहायक द्वारा किसी भी निर्माण कार्य की पूर्णता की दिनांक तथा पूर्णता सम्बन्धी प्रमाणपत्र न तो मापन पुस्तिका में तथा न ही निर्माण कार्यों के रजिस्टर में दर्ज किये गए हैं । अभिलेख का यह अधूरा अनुरक्षण न केवल कार्यशैली की उदासीनता को प्रकट करता है बल्कि नियमविरुद्ध होने के कारण अनियमित भी है ।

5. हिमाचल प्रदेश पंचायती राज [वित बजट लेखे संकर्म कराधान व भते] नियम 2002 के नियम 104(2)(1) में पंचायत के निर्माण कार्यों के लिए निरीक्षण एवं तकनीकी मार्गदर्शन सम्बन्धी

प्रतिपादित नियमों के अनुसार किये गए कार्य की जाँच सम्बन्धित विभागीय उच्च तकनीकी अधिकारियों जैसे कनिष्ठ अभियन्ता , सहायक अभियन्ता आदि द्वारा की जानी अपेक्षित है। परन्तु अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत किए गए अभिलेख में एसी किसी भी जाँच के प्रमाण अथवा प्रमाण पत्र नहीं पाए गए हैं । अतः पंचायत द्वारा निर्माण कार्यों सम्बन्धित प्रतिपादित नियमों की अवहेलना की जा रही है तथा इस कार्य प्रणाली में संदिग्धता दिखाई देती है। इस प्रकार नियमों की अवहेलना के सन्दर्भ में तथ्यपूर्ण स्पष्टीकरण सहित वस्तुस्थिति स्पष्ट की जाए ।

17 सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किये गये अनुदान के आदेश की प्रति/पत्र जाँच हेतु उपलब्ध न करवाना :-

ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि में प्राप्त किये गये अनुदानों के पत्रों की प्रति अंकेक्षण में जाँच हेतु उपलब्ध नहीं करवाई गई जिसके अभाव में यह ज्ञात नहीं हो सका कि पंचायत द्वारा प्राप्त किये गये अनुदान किस उदेश्य/कार्य विशेष के लिए प्राप्त किये गये हैं। चर्चा में बताया गया कि पंचायत में अनुदान के आदेश पत्र प्राप्त नहीं हुए हैं तथा खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय द्वारा राशि प्राप्त होने के उपरान्त मौखिक रूप में अनुदान के प्रायोजन बारे सूचित किया जाता है जो कि अनुचित है क्योंकि लिखित रूप में अनुदान का प्रायोजन प्राप्त न होने के कारण अनुदानों के दुर्विन्योज्न की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। इस प्रकरण को विशेष रूप से उच्च अधिकारिओं के ध्यान में लाया जाता है।

18 ग्राम पंचायत द्वारा मनरेगा सम्पति रजिस्टर का रख रखाव न करना :---

ग्राम पंचायत द्वारा प्रारूप 8 पर राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी स्कीम हिमाचल प्रदेश परिसम्पत्ति (अस्ति) रजिस्टर का रख रखाव नहीं किया गया है जिसका शीघ्र रख रखाव करना सुनिश्चित किया जाए ।

19 विहित रजिस्टरों का रख रखाब न करना :-

हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों / अभिलेखों का रख रखाब किया जाना अनिवार्य था । अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों / अभिलेखों का रख रखाब नहीं किया गया था, जो कि अनियमित व आपतिजनक है । अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख रखाब किया जाना सुनिश्चित किया जाए ।

क्रम	रजिस्टर/अभिलेख	फॉर्म संख्या	संदर्भित नियम
1	अस्थाई अग्रिम रजिस्टर	9	30
2	विभिन्न अनुदानों के लेजर खाते	7	29(1)
3	मांग एवम् प्राप्ति रजिस्टर	10	33 व 77(4)
4	अनुदान रजिस्टर	21	61(1)
5	डाक टिकट रजिस्टर	24	61(2)
6	निर्माण कार्यों की तकनीकी स्वीकृति का रजिस्टर	31	95(1)

20 प्रत्यक्ष सत्यापन :-

हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम

73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है, परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन नहीं किया गया है जिस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए ।

21 लघु आपति विवरणिका :- इसे अलग से जारी नहीं किया गया अपितु छोटी -2 आपतियों का अंकेक्षण के दौरान ही निपटारा कर दिया गया ।

22 निष्कर्ष :- लेखाओं के रख रखाव में सुधार की आवश्यकता है ।

हस्ता / –
(ज्ञान चन्द शर्मा)
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009
फोन नं0 0177–2620881

पृष्ठांकन संख्याः– फिन (एल0ए0) एच (पंच) (15)(2)185 / 2018 खण्ड–1–4428–4431 दिनांक 19.06.2018 शिमला–09

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ / आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

पंजीकृत

1. सचिव, ग्राम पंचायत मसरूर, विकास खण्ड नगरोटा सूरियाँ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उतर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।
2. निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
3. जिला पंचायत अधिकारी, कांगड़ा स्थित धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0प्र0
4. खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड नगरोटा सूरियाँ, जिला कांगड़ा हि0प्र0

हस्ता / –
(ज्ञान चन्द शर्मा)
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009
फोन नं0 0177–2620881